फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व मे एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड जयपुर–302001 (राज.) मे स्थित होकर कार्यरत है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री अशोक सालवी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड

– प्रार्थी

बनाम

1– श्री देवकिशन लोहार पिता नेनालाल लोहार निवासी म.नं. 306 वाडा आगरिया तहसील आमेट

–ऋणी / बन्धककर्ता

2– श्री सुखलाल लोहार पिता नेनालाल लोहार निवासी म.नं. 306 वाडा आगरिया तहसील आमेट **बंधक सम्पतिः–** श्री देवकिशन लोहार एवं सुखलाल लोहार ग्राम आगरिया वाडा पट्टा संख्या 46, संकल्प नं0 4 ग्राम पंचायत आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द

सहऋणी एवं बन्धककर्ता

3– श्रीमति पिन्टु उर्फ पिंकी पत्नी श्री देवकिशन लोहार निवासी म.नं. 306 वाडा अगारिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द

सहऋणी

4– श्री मुकेश कुमार लोहार पिता मिठुलाल लोहार निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

जमानती

विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सिक्यूटराईजेशन पत्रावली संख्या 32 / 2019

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 19.09.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 15.07.2019 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक को भारत के राजपत्र मे दिनांक 01.11.2017 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 18.09.2017 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दूसरी अनुसूची मे बैंक के रूप मे शामिल किया गया। इसे पूर्व एयू फायनेंसियर्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। विपक्षी संख्या 1, 2, व 3 ने बैंक से दिनांक 03.07.2015 को रूपये 6,50,000 /– अक्षरे छः लाख पचास हजार रूपये का ऋण लिया था विपक्षी संख्या 4 ने विपक्षी संख्या 1,2 व 3 द्वारा लिए गए ऋण की जमानत दी थी तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 ने ऋणी / सहऋणी होने से ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्यूरिटी के रूप मे अपनी निम्न अचल सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पक्ष मे रहन किया और उस पर निर्मित भवन एवं ढांचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष मे गरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है। बंधक सम्पत्ति का विवरणः– श्री देवकिशन लोहार एवं सुखलाल लोहार ग्राम आगरिया बाडा, पट्टा संख्या 46, संकल्प नं0 4 ग्राम पंचायत आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 1383.75 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार हैः– पूर्वः–बंशीलाल का मकान, पश्चिमः–नारायणसिंह का मकान व गली, उत्तरः–किशन बलाई का मकान, दक्षिण–रास्ता। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था मे उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और भुगतान मे व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 31.08.2018 को अक्रियान्वित आस्ति मे वर्गीकृत कर दिया। विपक्षीगण के खाते मे बकाया 4,39,123 /– अक्षरे चार लाख उनचालीस हजार	–

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

एक सौ तेबीस रूपये दिनांक 29.10.2018 तक शेष व देय निकलते है व दिनांक 30.10.2018 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.10.2018 को टंकित नोटिस जो दिनांक 03.11.2018 को विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति के बाद भी उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया है। नोटिस की प्रति संलग्न है। विपक्षीगण ने देय राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कलम संख्या 3 मे वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने का अधिकारी है। जिसके अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर आदेश पारित करना हैं, यदि कोई आदेश 30 दिनों के अन्दर पारित नहीं किया जाता हैं तो विलम्ब के लिए कारण दर्ज करने के पश्चात आदेश 60 दिनों के अन्दर दिया जावेगा यह संशोधन भारत के राजपत्र में दिनांक 16.08.2016 को प्रकाशित किया गया हैं। शपथ–पत्र मे वर्णितानुसार इस सम्पत्ति पर आज दिनांक तक उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नहीं है।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 29.10.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांकः 01.12.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया जिसकी प्रति पेश की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरणः– श्री देवकिशन लोहार एवं सुखलाल लोहार ग्राम आगरिया बाडा, पट्टा संख्या 46, संकल्प नं0 4 ग्राम पंचायत आगरिया तहसील आमेट जिला राजसमन्द जिसमें भवन, भूमि एवं ढांचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाप 1383.75 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पड़ौस निम्न प्रकार हैः– पूर्वः–बंशीलाल का मकान, पश्चिमः–नारायणसिंह का मकान व गली, उत्तरः–किशन बलाई का मकान, दक्षिण–रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)